भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/105/2020/एफ0 सी0/626 दिनांकः 2 /08/2021

सेवा में,

✓ अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– मा0 मुख्यमंत्री संख्या 310/ 2013 के अन्तर्गत जनपद–नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुंआ के अन्तर्गत हल्द्वानी बाईपास से हल्दूचौड़ इण्डिन ऑयल डिपो तक मार्ग के निर्माण हेतु 12.33 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण। (Online No. FP/UK/ROAD/29571/2017)

सन्दर्भः–कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 447/FP/UK/ROAD/29571/2017 दिनांक 16-08-2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 17/02/2021 का उत्तर राज्य सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत उत्तर के अवलोकन करने के उपरान्त प्रकरण को आगामी आर0 ई0 सी0 की बैठक में रखा जाना सुनिश्चित किया गया है। अतः राज्य सरकार निम्नलिखित बिन्दुओं पर तत्काल अपना जवाब इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें:–

1. प्रस्तावित मार्ग मुख्यतः हल्द्वानी–बदेली राजमार्ग के बाईपास के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है अतः यह अपेक्षित है कि बैठक में प्रस्ताव पर विस्तृत विवेचना की जाए तथा सम्बन्धित प्रयोक्ता अभिकरण तथा वन मंडल अधिकारी आर0ई0सी0 के समक्ष प्रस्ताव पर प्रस्तुतीकरण करें।
2. प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा यह सूचित किया गया है कि प्रस्तावित क्षेत्र 'prone to erosion' है। अतः प्रभागीय वनाधिकारी से अपेक्षित है कि वह इस संबंध में structures एवं budgetary provisions पर विस्तृत आख्या प्रस्तुत करें।

3. साधारणतः एसे प्रस्तावों पर 7 मी0 पर भी enumeration list चाही जाती है। क्योंकि अमुख प्रस्ताव में प्रस्तावित 562 वृक्षों की गणना 9 मीटर चौड़ाई पर की गई है, अतः राज्य सरकार वृक्षों की गणना 7 मीटर पर कर उसकी सूची इस कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीया,

21/08/24

(मीरा अय्यर)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(मीरा अय्यर)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)